छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
एवं
जनशिकायत निवारण विभाग

(मोनो)

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006 – 2007

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
एवं
जन शिकायत निवारण विभाग

<u>विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन</u>

वर्ष 2006 – 2007

प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री)	––	डॉ. रमन सिंह
मान. मुख्यमंत्री जी के संसदीय सचिव	––	श्री सत्यानंद राठिया

मंत्रालय

मुख्य सचिव	––	1. श्री आर.पी. बगाई (31.01,2007 तक) 2. श्री शिवराज सिंह (01.02.2007 से)
सचिव	––	श्री जवाहर श्रीवास्तव
सचिव	––	श्री अजयपाल सिंह (जनवरी, 07 तक विशेष सचिव)
सचिव	––	श्रीमती रेणु जी पिल्ले (जनवरी, 07 तक विशेष सचिव)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	––	श्री चंद्रहास बेहार
उप सचिव	––	श्री व्ही.के.राय
उप सचिव	––	श्री जेवियर तिग्गा
उप सचिव	––	श्री के.के. बाजपेयी
अवर सचिव	––	श्रीमती विभा चौधरी
अवर सचिव	––	श्री श्रीराम सेजकर
अवर सचिव (अधीक्षण)	––	श्री एन.के.भट्टर
अवर सचिव	––	श्री विजय कुमार सिंह
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी	––	श्री एम. के. मंधानी (15.01,2007 तक)

सामान्य प्रशासन विभाग
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

(भाग – एक)

1. प्रभारी मंत्री एवं मंत्रालय स्तर के अधिकारी :–

1. (अ) 1. माननीय मुख्यमंत्री
2. मुख्यमंत्री जी के संसदीय सचिव

(ब) <u>**मंत्रालय**</u>

1. मुख्य सचिव
2. सचिव
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
4. विशेष सचिव
5. संयुक्त सचिव
6. उप सचिव
7. अवर सचिव
8. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
9. मुख्य लेखाधिकारी
10. रजिस्ट्रार/अवर सचिव (अधीक्षण)

2. सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले एवं संबंद्ध संचालनालय तथा कार्यालय :–

1. राजभवन
2. लोक सेवा आयोग
3. छ.ग. लोक आयोग
4. एन्टी करप्शन ब्यूरो
5. मुख्य तकनीकी परीक्षक
6. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
7. छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग
8. प्रशासन अकादमी
9. छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. राज्य सत्कार कार्यालय
11. राज्य निर्वाचन आयोग
12. विभागीय जांच आयुक्त
13. राज्य सूचना आयोग

3. कार्य आबंटन :–

विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय : –

1. शासन के कार्य आबंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
4. राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों और संसदीय, सचिवों की नियुक्ति और त्यागपत्र की अधिसूचना जारी करना
5. राज्य लोक सेवा आयोग, निम्नलिखित से संबंधित मामले :–
   (एक) सेवा की शर्ते
   (दो) कृत्यों का परिसीमन
6. राजस्व मण्डल– अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. उच्च न्यायालय का गठन तथा संगठन
9. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, पेंशन तथा भत्ते
   11–क राज्य निर्वाचन आयोग
   11–ख छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य

(क) मानव अधिकारों के उल्लघंन के संबंध में उक्त अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अधिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना–
   (1) भारत सरकार,
   (2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
   (3) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार अधिनियम,1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक :–

10. राजनैतिक क्रियाकलाप
11. पाक्षिक प्रतिवेदन
12. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)
13. भारत–पाक संबंध
14. युद्ध और शांति
15. संयुक्त राष्ट्र संघ
16. भारत की प्रतिरक्षा
17. नव,स्थल,विमान बल

18. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन
19. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात्–
    (एक) एकीकरण करार,
    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार,उनकी निजी थैलियां,निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते,
    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रूप में मनायें जाने वाले समारोह, और
    (चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय,
20. पारितोषिक और अलंकरण
21. राष्ट्रीय एकीकरण
22. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
23. राज्य पुनर्गठन अधिनियम,2000 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय
24. क्षेत्रीय परिषद्
25. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण
26. प्रादेशिक सेना
27. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
28. सम्मेलन–संसद सदस्य/कलेक्टर
29. जिला सलाहकार समितियां
30. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
31. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
32. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
33. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे
34. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन

सामान्य :–

35. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत
36. राज्य चिन्ह
37. राष्ट्रीय त्यौहार
38. राज्य के उत्सव और समारोह
39. शासकीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय कलैण्डर
40. शासकीय पोशक
41. पूर्वता–अधिपत्र
42. महत्वपूर्ण घटनाएं
43. महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मृत्यु और संवेदना–संदेश
44. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
45. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
46. छत्तीसगढ़ भवन,नई दिल्ली से संबंधित विषय
47. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
48. शासकीय भवनों का नामकरण
49. राजपत्र (असाधारण)
50. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री–सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं :–

51. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आबंटित किए गए विषयों को छोड़कर)उदाहरणार्थ–नियुक्तियॉ, पदस्थापनाएँ, स्थानांतरण, वेतन, छुट्‌टी, पेंशन, पदोन्नतियॉ, भविष्यनिधियॉ, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियॉ, दण्ड तथा अभ्यावेदन
52. सिविल सूची और सेवा वृत्त
53. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण
54. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)
55. मंत्रालय
(एक) अधिकारी तथा स्थापना
(दो) प्रशासनिक सुधार
56. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव
57. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय
58. राज्य लोक सेवाएं–सेवा शर्तों और उनके निर्वाचन के विशेष संवर्ग में सामान्य नियम और आदेश जारी करना
59. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना
60. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)
61. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेंवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना
62. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र और पूर्ववत तथा उपयुक्तता का सम्यापन करने के बारे में सामान्य नीति
63. श्रेणी (ग्रेड्स) वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना
64. वेतन आयोग प्रकोष्ठ
65. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियॉ भी सम्मिलित है, प्रारूपित तथा प्रवर्तित किए गए है ।
66. अनुसूचित जातियां,अनुसूचित जन जातियां, अन्य पिछड़ा वर्गो एवं महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तो से संबंधित नीति।
67. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिए युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना।
68. पदक्रम सूचियॉ तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना

69. यह सुनिश्चित करना कि विभागीय पदोन्नति समितियॉ की बैठकें समय पर आयोजित की जाती है तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे की पूर्ति उचित रूप से की जाती है।
70. इस बात का पर्यवेक्षण करना कि परीवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।
71. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना।
72. सामान्य स्वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना।
73. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति।
74. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति।

प्रशिक्षण :–

75. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति।
76. नव नियुक्तियों के लिए तथा साथ ही पुनश्चर्या, तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।
77. प्रशासन प्रशिक्षण– छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय।
78. मंत्रालय स्थापना के अवर सचिव स्तर तक के अधिकारियों/ कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है ।

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता :–

79. प्रशासनिक सुधार–संगठन और कार्य पद्धति
80. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
81. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
82. लोक आयोग
83. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते है, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
84. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित कार्य
85. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
86. विशेष पुलिस स्थापना
87. जांच आयोग
88. विभागीय जांच आयुक्त

कर्मचारी कल्याण :–

89. अधिकारी/कर्मचारियों (सर्विस) संघों को मान्यता देना
90. संयुक्त परामर्शदायी तंत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यथा निवारण के लिए तंत्र।
91. कर्मचारी कल्याण जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, केंटीन, सहकारी भण्डार आदि सम्मिलित है ।
92. छुट्टियॉ।

(भाग – दो)

–:: बजट ::–

क्र.	विषय	मांग संख्या	लेखा शीर्ष	आबंटित राशि
1	2	3	4	5
1	राजभवन	1	2012	333.18,000
2	मंत्रि–परिषद के सदस्यों का वेतन, भत्ता आदि	1	2013	905.00,000
3	निर्वाचन आयोग	1	2015	364.30,000
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1	2235	5.60,000
5	लोक सेवा आयोग	1	2051	346.00,000
6	सचिवालय सामान्य सेवाएं	1	2052	1445.0,000 5.00,000
7	पुलिस (अपराधिक अन्वेषण सतर्कता)	1	2055	78.52,000
8	लोक निर्माण (मुख्य तकनीकि परीक्षा)	1	2059	26.10,000
9	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1	2251	259.00,000
10	सचिवालय आर्थिक सेंवाएं	1	3451	253.00,000
11	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1	2070	211.33,000
13	सूचना आयोग	2	2052	135.40,000
14	जिला प्रशासन एवं अन्य	2	2053	35.00,000
15	विविध सामान्य सेवाएं	2	2075	00.10,000
16	अन्य प्रशासनिक सेवाऍ विशेष जॉच/ सत्कार अधिकारी	2	2070	72.35,000
17	मानव अधिकार	2	2052	58.00,000
18	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान पेंशन योजना	2	2235	101.00,000

(भाग – तीन)

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाएँ,केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं आदि संचालित नहीं है, तथापि उल्लेखित कार्य की प्रगति निम्नानुसार हैः–

राज्य प्रशासनिक सेवा :–

1. राज्य प्रशासनिक सेवा में कुल 250 पदों का संवर्ग स्वीकृत है। जिसमें सीधी भर्ती के 85 एवं पदोन्नत 115 पद है। सेवा का संवर्ग स्वीकृत करते समय सीधी भरती के पदों को 3 चरणों में भरने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में 40 पद सीधी भरती के रिक्त है। सीधी भर्ती के 30 पदों की पूर्ति के लिए आयोग को मांग पत्र भेजा गया है।
2. 10 पद पदोन्नति के रिक्त है । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रस्ताव के लिए राजस्व विभाग को लिखा गया है। अर्हता प्राप्त अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर सभी श्रेणियों में क्रमोन्नति दी जा चुकी है तथा दिनांक 01.04.2006 की पदक्रम सूची जारी की जा चुकी है।

मंत्रालयीन स्थापना :–

1. मंत्रालयीन स्थापना शाखा में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर तृतीय श्रेणी के समस्त कर्मचरियों की स्थापना संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है । इसके अतिरिक्त मंत्री स्थापना एवं अन्य सेवाओं के मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का समस्त कार्य भी सम्पादित किया जाता है ।
2. सूचना का अधिकार के तहत कार्य करने के संबंध में प्रशासन अकादमी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाकर मंत्रालय के कर्मचारियों को सूचना के अधिकार के तहत कार्य करने एवं नियम/निर्देशों की जानकारी देने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।
3. इस वर्ष मंत्रालय स्थापना के रिक्त पदों को पूर्ण करने की दृष्टि से मंत्रालय संवर्ग के सभी पदों पर पदोन्नति में हुए 1 वर्ष की छूट के निर्णय के आधार पर अहर्ताधारी अधिकारियों / कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त 100 सहायक ग्रेड – 3 एवं 24 स्टेनों टायपिस्ट के पदों पर भर्ती करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है।

आगामी वर्ष के लक्ष्य :–

सीधी भरती एवं पदोन्नति से पदपूर्ति की कार्यवाही समय पर किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

कर्मचारी कल्याण :–

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2006 को मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है।
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा खेल मंडल की बैठक 30 नवंबर 2006 को आयोजित की जा चुकी है।
3. शासकीय सेवकों की पदोन्नति/क्रमोन्नति,स्थायीकरण, पेंशन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जॉच, गोपनीय प्रतिवेदन, अनुकंपा नियुक्ति आदि की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न प्रपत्र निर्धारित कर विभागों को भेजकर मॉनिटरिंग की कार्यवाही की जा रही है।
4. अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में वर्ष 2005–06 में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सर्विसेस की टीमों ने सफलतापूर्वक भाग लिया एवं बेडमिंटन, कुश्ती में रजत एवं कांस्य पदक, भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव की टीम ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक एवं टीम चैम्पियनशीप प्राप्त की। लॉन टैनिस टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर " फेयर प्ले ट्राफी" प्राप्त हुई।
5. वर्ष 2006–07 में अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में बेडमिंटन एवं टेबल–टेनिस टीमों ने भाग लिया जिसमें से बेडमिंटन टीम द्वारा एकल–डबल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कार्यक्रम आने पर विभिन्न खेलों की टीमों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजा जायेगा।

पुरस्कार :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाते है, जो निम्नानुसार है :–
   क. पंडित रविशंकर शुक्ल,साम्प्रदायिक,सौहाद् एवं जातीय सद्भावना पुरस्कार।
   ख. यतीयतन लाल ,अंहिसा पुरस्कार।
   ग. महाराजा अग्रसेन ,राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार।
   घ. इंदिरा गांधी, साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार।
2. सड़क दुर्धटना में मृतकों के परिवारजनों को रुपये 5,000/–तथा घायलों को रुपये 2000/– सहायता राशि दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में जिलों को 18.50 लाख की राशि आवंटित की गई है।
3. राज्य के सैनिक जिन्होंने सेना में उत्कृष्ठ कार्य किया हो, शौर्य अलंकरण, सेवा मेडल प्राप्तकर्ता हो, उन्हें राज्य की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद राशि दिये जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष में एक सेना मेडल प्राप्तकर्ता को रुपये 23,000/– एवं एक वीरचक्र प्राप्तकर्ता को रुपये 57,000/– की राशि दी गई है।
4. छत्तीसगढ भवन अधिवास नियम, 2004 की नियम–5 (परिशिष्ट–दो) सरल क्रमांक–3 कॉलम–3 में संशोधन किया गया है। जिसमें विधायकों के लिए एक कैलेण्डर माह में तीन दिन की जगह चार दिन निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा)

1. बैकलॉग :–

विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक बैकलॉग की पूर्ति हेतु चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के तहत अब तक कुल लगभग 3825 पदों की पूर्ति की गई है। विशेष अभियान की अवधि निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक की बैकलाग पदों की पूर्ति नहीं होती।

2. अनुकंपा नियुक्ति :–

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये इच्छुक आवेदक की सहमति प्राप्त कर शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु निर्देश दिनांक 03.09.2005 को जारी किये गये है । अनुकम्पा नियुक्ति नियम के अंतर्गत मृतक शासकीय सेवक यदि महिला हो तो उसके पति (विधुर) को भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता संबंधी निर्देश दिनांक 19.12.2005 को जारी किये गये।मा.उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के परिपालन में राज्य गठन से 3 वर्ष पूर्व अर्थात दिनॉक 1.11.1997 से दिनॉक 31.10.2000 की अवधि में मृतक हुए शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु दिनॉक 2.2.2006 को निर्देश जारी किये गये हैं।

3. रोस्टर का संधारण :–

राज्य शासन के विभिन्न विभागों से रोस्टर के संधारण/बैकलॉग के पदों की गणना के संबंध में आ रही कठिनाईयों के समाधान के लिये परिपत्र दिनांक 16.05.2005 जारी किया गया है ।

4. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण :–

दिनांक 31.12.1988 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी वाहन चालको के नियमितीकरण में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रिक्त पदों पर ही तथा पद रिक्त न हो तो वित्त विभाग के परामर्श से (वित्त विभाग औचित्य के आधार पर पद सृजित करने को सहमत हो तो ही) एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर पद सृजन करने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व में जारी परिपत्रों में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी वाहन चालकों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये। इस संबंध में निर्देश परिपत्र क्रमांक 568/853/2005/1–3 दिनांक 19.07.2005 जारी किया गया है । वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये आकस्मिकता एवं कार्यभारित स्थापना नियम वन विभाग तैयार कर अधिसूचित कर लागू करने हेतु वन विभाग को सहमति दी गई है ।

5. क्रमोन्नति योजना :–

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12–4/2002/1–3 दिनांक 22.02.2005 द्वारा क्रमोन्नति योजना का लाभ नियमित स्थापना के वाहन चालकों के समान ''कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि वाहन चालकों'' को भी देने के संबंध में निर्देश जारी किये गये । शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.एफ 10–1/2006/1/3 दिनॉक 24.4.2006 जारी किया गया है । इस विभाग के संशोधित परिपत्र क्र. एफ 10–1/2006/1/3 दिनॉक 27.6.2006 द्वारा लेखापालों को क्रमोन्नति में आ रही विसंगति को दूर किया गया है ।

6. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना के संबंध में नीति निर्धारण :–

इस संबंध में वांछित निर्देश जारी कर दिये गये है :–

क. राज्य स्तर के पदों पर भर्ती के उपरांत नई नियुक्ति करते समय अनुसूचित क्षेत्रों में ही अधिकारी/कर्मचारी की प्रथम पदस्थापना की जाय।

ख. अनुसूचित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष की पदस्थापना के बाद शासकीय सेवक को उसकी मनपसंद क्षेत्र में पदस्थापना किये जाने पर आवश्यक रूप से विचार किया जाय। ऐसे शासकीय सेवक से, स्थानांतरण हेतु मनपसंद स्थान के पांच विकल्प मांगे जावे। तथा यथा संभव उन स्थानों में से किसी एक स्थान पर पदस्थ किया जाय।

ग. स्थानांतरण के ऐसे प्रस्तावों को जिसमें पदस्थापना अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद पर हो रही हो समन्वय के प्रकरण नही माने जायेगे। किन्तु यह व्यवस्था उन प्रकरणों पर लागू नहीं होगी जो प्रकरण छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्यनियम के तहत समन्वय के प्रकरण हों।

7. स्थानांतरण नीति :–

स्थानांतरण नीति वर्ष 2006–07 जारी की गई जिसके अंतर्गत तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने के अधिकार प्रभारी मंत्री को दिनांक 07 जुलाई 2006 तक के लिए दिए गए थे । इस अवधि के पश्चात राज्य में स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। केवल विशेष प्रकरण में समन्वय मे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही स्थानांतरण किए जा सकते है ।

जन–शिकायत निवारण

राज्य में जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुदृढ़ तंत्र के विकास के उपाए किए गए हैं। जन समस्या निवारण शिविर, विडियो कांफ्रेंसिंग, ग्राम सुराज अभियान, जिला एवं उप मण्डल स्तरीय जन समस्या निवारण समितियॉ इत्यादि के माध्यम से लोक शिकायतों के प्रयास किए जा रहे है।

ग्राम सुराज अभियान :–

प्रदेश के गग्रमीण अंचलों में जनता की समस्याओं, मांगों एंव शिकायतों से अवगत होकर उनका निराकरण करने, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियांवयन करने और ग्रामीण जनता से जीवंत संपर्क करने हेतु ग्राम सुराज अभियान का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुनः 8 मई, 2006 तक इस अभियान को प्रदेश को 788 जोनो में विभक्त कर संचालित किया गया। जिसमें 2955 प्रभारी अधिकारी, 2716 सहायक अधिकारी, 17230 ग्राम प्रभारी सहित कुल 33586 अधिकारियों / कर्मचारियों के गांव–गांव पहुंच कर सीधे जनता से जीवंत संपर्क स्थापित किया। ग्राम सुराज अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में सचिव स्तरीय अधिकारियों को जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी माननीय मंत्रीगण सहित अन्य जन प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी अभियान को सफल बनाने में प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान ग्रामीण जनता से 215611 आवेदन पत्र भी प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है।

जन समस्या निवारण शिविर :–

प्रदेश के सभी 16 जिलों में स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं के निराकरण हेतु जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य बनाई गई है। शिविर स्थल पर ही अधिकांश आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया जाता है। शिविर आयोजन की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित जिला कलेक्टरों को दी गई है।

विडियो कांफ्रेंसिंग :–

विडियो कांफ्रेंसिंग से शिकायतों के निराकरण के तंत्र को प्रदेश में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। दिनांक 15 अगस्त 2004 से जिलों को मंत्रालय स्थित विडियों कांफ्रेंसिंग केन्द्र से जोड़ा गया है। जिसके माध्यम से प्रतिदिन शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ही किया जा रहा है।

जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय शिकायत निवारण समितियों का गठन :–

प्रत्येंक जिलें में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जिला शिकायत निवारण समिति एवं विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये समितियॉ जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियांवयन की समीक्षा के साथ–साथ शिकायतों के निराकरण की क्रियाशीलता के तंत्र पर सत्त निगरानी रखती है।

वेब साईट पर प्राप्त शिकायतें :–

शासन की वेब साईट www.janshikayat.nic.in पर प्राप्त शिकायतों को निराकरण करने की प्रणाली भी प्रदेश स्तर पर स्थापित है। प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

कम्प्यूटराईजेंशन :–

शिकायती आवेदन पत्रों के प्रभावशाली मानिटरिंग के लिए कम्प्यूटराईजेशन की प्रणाली सभी विभागों एवं मैदानी कार्यालयों में स्थापित किए जाने के निर्देश समस्त विभागों / विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों को दिए गए है।

राजभवन

राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय में कोई योजना अथवा लक्ष्य पूर्ति जैसे कार्यक्रम समाविष्ट नहीं होने से जानकारी निरंक है ।

लोक सेवा आयोग :—

1. आयोग द्वारा दिनॉक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति की कुल 84 बैठके आयोजित की गई तथा अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाकर कुल 1085 पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा की गई।
2. प्रतिवेदित अवधि में विभिन्न विभागों से अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित कुल 16 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 16 प्रकरणों में आयोग द्वारा अपना अभिमत दिया गया है।
3. विभागीय भर्ती नियमों के अनुमोदन हेतु दो विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन आयोग द्वारा किया गया ।
4. विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के अनुसार 145 पदों के लिए चार विज्ञापन जारी किये गये।
5. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2005 दिनॉक 15.9.06 से 27.9.06 तक एवं 30.9.06 को आयोजित की गई जिसमें 2434 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए।

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रोटोकॉल)

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय कार्यरत है। कार्यालय सेटअप के अनुरूप राज्य सत्कार अधिकारी पदेन संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सहायक सत्कार अधिकारी सहित कुल 08 पद स्वीकृत किए गए है। इस कार्यालय में सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इस कार्यालय द्वारा छ.ग. राज्य में राज्य अतिथियों को उनकी गरिमा के अनुरूप समस्त प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का समांकलन किया जाता है।

बजट :—

वित्तीय वर्ष 2006—07 के लिए कुल 87.85 लाख रूपये का बजट प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध 31.12.2006 तक कुल 56.76 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है। सभी व्यय गैर योजनाओं के अधीन किए गए है।

कार्यविवरण :—

1. राज्य अतिथि घोषित किए जाने की प्रक्रियाओं का संधारण एंव निष्पादन करना।
2. राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय आयोजनों में सहयोग करना।
3. राजभवन एवं मुख्य मंत्री निवास में समय—समय पर होने वाले आयोजनों में सहयोग करना।
4. राज्य अतिथियों को उनकी गरिमा के अनुरूप समस्त प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का समांकलन किया जाना।

छत्तीसगढ़ लोक आयोग

छत्तीसगढ़ लोक आयोग का गठन 06 अगस्त 2002 में राज्य शासन द्वारा किया जाकर आयोग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1–11/2002/1/6 रायपुर दिनांक 21 अगस्त 2002 के अनुसार सचिव एक पद, लेखाधिकारी जो कि अब पदोन्नति से उपसंचालक (वित्त) एक पद, वाहन चालक एक पद, भृत्य पॉच पद, एवं आदेश क्रमांक एफ 1–11/2002/1/6 दिनांक 21.10.2002 द्वारा विशेष सहायक एक पद, उप सचिव एक पद, अनुभाग अधिकारी एक पद, विधि सलाहकार एक पद, शीघ्रलेखक –3 दो पद, सहायक ग्रेड–1 दो पद, सहायक ग्रेड–2 तीन पद, सहायक ग्रेड–3 के पॉच पद, वाहन चालक दो पद, भृत्य दस पद, चौकीदार पॉच पद, एवं एक पद अंशकालीन स्वीपर (पार्टटाइम) स्वीकृत किये गये है।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ1–11/2004/1/7 दिनांक 05.03.2004 के द्वारा वाहन चालक के 03 पद, भृत्य 09 पद चौकीदार 05 पद, को नियमित वेतनमान में तथा अंशकालीन स्वीपर (पार्टटाइम) को 89 दिवस (कलेक्टर दर पर) स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार कुल 37 पद स्वीकृत किये गये है जिसके विरुद्ध 22 पद की पूर्ति पश्चात 15 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

छ.ग. लोक आयोग, रायपुर में प्रमुख लोकायुक्त के पद पर जस्टिस श्री के.एम. अग्रवाल दिनांक 06.08.2002 को पदभार ग्रहण किया तथा सचिव के पद पर श्री एस.के. तिवारी (आई.ए.एस.) दिनांक 12.09.2002 से 16.12.2003 तक उक्त पद पर पदस्थ थे। उनके बाद श्री एम. आर. ठाकुर (आई.ए.एस.) सचिव के पद पर दिनांक 27.01.2004 से अभी तक कार्यरत है। विधि सलाहकार के पद पर श्री सी.बी.एस. पटेल दिनांक 13.05. 2003 से दिनांक 15.04.2004 तक पदस्थ थे, उनके बाद दिनांक 15.05.2006 से श्रीमति अमृता संजय लाल विधि सलाहकार के पद पर पदस्थ है।

बजट प्रावधान :–

वित्तीय वर्ष 2006–2007 हेतु 107.40 लाख बजट प्रावधान की मांग की गई है। जिसमें 65.69 लाख बजट आबंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आबंटन एवं व्यय का विवरण इस प्रकार है। (माह जनवरी 2007 तक)

क्र	मदवार	प्राप्त आबंटन	कुल व्यय	शेष
01.	001 वेतन	3404600.00	2141912.00	1262688.00
02.	002 मजदूरी	370000.00	232239.00	137761.00
03.	003 यात्रा भत्ता	405000.00	16979.00	388021.00
04.	004 कार्या.भत्ता	1449000.00	476366.00	972634.00
05.	17 सेमीनार	103500.00	–	103500.00
	27 लघु निर्माण	–	–	–
06.	006 लघु निर्माण कार्य	180000.00	20000.00	160000.00
	योग	**5912100.00**	**2887496.00**	**3024604.00**

विशेष अन्वेषण स्थापना :–

छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम के धारा 13 उप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष अन्वेषण स्थापना का गठन शासन द्वारा दिनांक 13.03.2003 को किया गया तथा शासन के आदेश क्रमांक एफ/20/2003/1/6 रायपुर दिनांक 03.08.2003 द्वारा एक पद पुलिस महानिरीक्षक, 02 पद पुलिस अधीक्षक, 04 पद उप पुलिस अधीक्षक, 01 पद पुलिस निरीक्षक (रीडर), 04 पद निरीक्षक, 08 पद प्रधान आरक्षक, 14 पद आरक्षक, 04 पद आरक्षक (चालक) कुल 39 पद स्वीकृत कर इन पदों को पूर्व में पूर्ववत राज्य म.प्र. से संचालित विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय मे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी से ही रिडिप्लायमेंट द्वारा भरे जाने के निर्देश दिये गये। इस तरह वर्तमान में 02 पद पर प्रधान आरक्षक एवं 09 पद पर आरक्षक 02 पद पर आरक्षक (चालक) पद की पूर्ति की गई है।

विशेष अन्वेषण स्थापना, लोक आयोग, रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के पद के विरूद्ध श्री ए.के. तिवारी (आई.पी.एस.) उप–पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई थी किन्तु श्री तिवारी दि. 01.11.2003 से 17.12.2003 तक इस आयोग में कार्यरत रहे, उसके बाद श्री ए. एन. उपाध्याय (आई.पी.एस.) पुलिस उप–महानिरीक्षक दि 17.12.2003 से इस आयोग में पदस्थापित हुए और कार्यरत अवधि में ही दिनांक 27.07.2004 से श्री ए. एन. उपाध्याय (आई.पी.एस.) को पदोन्नति पुलिस महानिरीक्षक के पद पर की गई तथा श्री उपाध्याय दि. 27.07.2004 से दि. 04.12.2004 तक इस आयोग में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के पद के विरुद्व श्री सी. पी. शुक्ला (रा.प्र.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर दिनॉक 04.05.2006 से पदस्थ हैं। इस प्रकार विशेष अन्वेषण स्थापना हेतु 39 पद स्वीकृत है तथा 14 पद की पूर्ति पश्चात 25 पद रिक्त हैं।

बजट प्रावधान :–

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के लिए बजट प्रावधान 93.61 लाख बजट की मांग की गई है जिसमें 66.64 लाख बजट आबंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आबंटन एवं व्यय की विवरण माह जनवरी 2007 तक इस प्रकार है :–

क्रमांक	मदवार	प्राप्त आबंटन	कुल व्यय	शेष
01	001 वेतनमद	4647600.00	1352432.00	3295168.00
02	02 मजदूरी	–	–	–
03	03 यात्रा भत्ता	360000.00	7297.00	352703.00
04	04 कार्याव्यय	895500.00	12663.00	882837.00
05	23 किराया महसूल	90000.00	–	90000.00
06	18 पारितोषिक	4500.00	–	4500.00
	योग	**5997600.00**	**1372392.00**	**4625208.00**

आयोग द्वारा निष्पादित कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2006–2007 अर्थात दिनांक 31.12.2006 तक की स्थिति

1. इस वित्तीय वर्ष में लोक आयोग में कुल 60 प्रकरण पंजीबद्ध हुए।
2. वित्तीय वर्ष 2002–2003, 2003–2004, 2004–2005 एवं 2005–06 में लंबित प्रकरणों सहित इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 441 लंबित प्रकरणों में से इस वर्ष 50 प्रकरण निराकृत किये गये।
3. इस वित्तीय वर्ष में अभी कुल 50 निराकृत प्रकरणों में से 15 प्रकरण आयोग में चलने योग्य न होने के कारण नस्तिबद्ध किये गये तथा 28 प्रकरण सक्षम अधिकारियों को निराकरण हेतु भेजे गये जबकि 07 प्रकरणों में रिपोर्ट/आदेश पारित किये गये।

वर्ष	आयोग में सीधे प्राप्त एवं पंजीकृत प्रकरण	पूर्व वर्ष की लंबित प्रकरण	म.प्र. लोकायुक्त भोपाल से प्राप्त प्रकरण	वर्ष में जांच हेतु कुल प्रकरण	वर्ष में निराकृत प्रकरण	वर्ष में लंबित रहे प्रकरण
2002–03	144	–	–	144	43	101
2003–04	135	101	416	652	185	467
2004–05	155	467	67	689	305	384
2005–06	83	384	–	467	86	381
2006–07 दि. 31.01.07 तक की स्थिति	60	381	–	441	50	391

अतः इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006–07 अर्थात 31.1.07 तक कुल 391 प्रकरण लंबित है ।

एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात एन्टी करप्शन ब्यूरों के गठन से संबंधित अधिसूचना क्रमांक 8–2/2003/1–6 दिनांक 27 फरवरी 2003 को प्रकाशित हुई थी एवं छत्तीसगढ़ विशेष पुलिस स्थापना (निरसर) अधिनियम 2003, दिनांक 29 मई 2003 के प्रकाशन द्वारा विशेष पुलिस स्थापना का निरसर किया गया। वर्तमान एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–20/2002/1/6 दिनांक 31.07.2003 के द्वारा अस्तित्व में आया । एन्टी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत पूर्व के अनुसार ही रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर कार्यालय कार्य कर रहे है । ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत है।

इस संगठन के कार्य संचालन निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है । इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी श्री आनंद तिवारी है । इनकी सहायता हेतु मुख्यालय रायपुर में एक पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। ब्यूरो का मुख्यालय रायपुर में है ।

अपराधों के अन्वेषण का अधिकार छ0ग0 शासन की अधिसूचना क्रमांक 8–2/2003/1/6 दिनांक 27 फरवरी 2003 द्वारा प्रदत्त है । उक्त अधिसूचना में वर्णित विभिन्न अधिनियमों के अपराधों के अन्वेषण का अधिकार ब्यूरों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है ।

छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा वर्ष (01.01.2006 से 31.12.2006 तक) सम्पादित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रकरण	दिनांक 01.01.06 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01.01.06 से 31.12.06 तक पंजीबद्ध प्रकरण की संख्या	कुल संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	विवेचनाधीन प्रकरणों की संख्या
अपराध	92	48	140	25	115
प्राथ0जांच	06	01	07	01	06
न्यायालयीन प्रकरण	**127**	**25**	**152**	**18**	**134**

उपरोक्त दर्शित विवेचना में लंबित 115 प्रकरणों में से 16 प्रकरण शासन के पास एवं 3 प्रकरण अन्य विभागों के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु 5 प्रकरण छ.ग.राज्य विद्युत मंडल रायपुर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण लंबित हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विशेष न्यायालयों में कुल 127 मामले विचारणाधीन थे। इनमें से 18 प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं इनमें से 5 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई। मामलों की पैरवी प्रभावी ढंग से कराई गई । वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विशेष न्यायालयों में कुल 134 प्रकरण विचारणाधीन है।

स्वीकृत बल एवं रिक्त पदों का विवरण :–

पूर्ववर्ती विशेष पुलिस स्थापना में स्वीकृत पदों की स्थिति इस प्रकार है :–

पदनाम	रायपुर	बिलासपुर	बस्तर	कुल योग
पुलिस अधीक्षक	01	01	01	03
पुलिस उप अधीक्षक	05	04	01	10
जिला अभियोजन अधिकारी	01	01	–	02
सहायक लोक अभियोजन	–	–	01	01
पुलिस निरीक्षक	08	06	02	16
पुलिस उप निरीक्षक	01	01	–	02
प्रधान आरक्षक	02	02	01	05
आरक्षक कार्ट माहर्रिर	01	01	01	03
आरक्षक	12	10	05	27
आरक्षक चालक	02	01	–	03
सहायक ग्रेड–1	01	01	–	02
सहायक ग्रेड–2	02	01	01	04
सहायक ग्रेड–3	05	02	02	09
शीघ्रलेखक–	01	–	01	02
स्टेनो टायपिस्ट	02	01	–	03
भृत्य	02	02	02	06
फर्राश	01	01	–	02
वाहन चालक	–	–	01	01
योग	**47**	**35**	**19**	**101**

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग रायपुर का गठन दिनांक 16.04.2001 से किया गया है । वर्तमान में आयोग का कार्यालय मंत्रालय के पास कार्यरत है।

पदाधिकारी एवं कर्मचारी :–

श्री एल.जे.सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं । सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, श्री व्ही.एस. चौबे, सदस्य मानव अधिकार आयोग के पद पर कार्यरत है। श्री दिलीप भट्ट (वरिष्ठ न्यायिक सेवा) संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बी.पी.एस.पौषार्य (आई.पी.एस.) पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं एवं श्री डी.आर.दयाल (न्यायिक सेवा) उप सचिव तथा श्री यू.एस.मिश्रा,(न्यायिक सेवा) विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। श्री के.डी.झारिया, लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं । श्री मनीष मिश्रा, अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। श्री सुभाष चंद्र चौधरी, श्री अमर सिंह ध्रुव एवं श्री मिर्जा जियारत बेग पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं ।

कार्यालय :–

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग कार्यालय मंत्रालय परिसर के पास सी. एस.ओ.टी. भवन में कार्यरत हैं। आयोग में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुये कार्यालय के पास किसी अन्य भवन की आवश्यकता है।

मानव अधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में जिन कार्यों को सम्मिलित किया गया है उनमें प्रमुख रूप से :–

1. आयोग के समक्ष किसी शासकीय सेवक द्वारा किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन की शिकायत की जॉच।
2. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय की अनुमति से कार्यवाही में भाग लेना।
3. जेल, अस्पताल का निरीक्षण करना तथा आव यक सुझाव देना।
4. मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना और सुधार के लिए सुझाव देना।
5. आतंकवादी गतिविधियां, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनके निवारण के उपाय सुझाना ।
6. मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान कार्य करना।
7. मानव अधिकार संबंधी शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
8. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना।
9. मानव अधिकारों की समुन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
10. थानों का निरीक्षण करके मानव अधिकारों के हनन की जानकारी लेना।

11. विप्लव तथा आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण।
12. पुलिस लॉक–अप, जेल तथा अन्य नजरबंदी केन्द्रों में सुधार करवाना।
13. हिरासत में मृत्यु, बलात्कार तथा उत्पीड़न से प्रभावितों को मदद दिलाने का कार्य।
14. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच करना।
15. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन का निराकरण करवाना।
16. अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार करवाना।
17. महाविद्यालयों में रैगिंग रोकने का प्रयास।
18. स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं बस्ते का बोझ कम करने के प्रयास।
19. मानव अधिकारों का प्रचार–प्रसार कर जन जागृति उत्पन्न करना।
20. बालक बालिकाओं को समान सामाजिक संरक्षण का अधिकार दिलाने का प्रयास करना मुख्य रूप से भाामिल है।

आयोग द्वारा किये गये कार्य :–

आयोग में वित्तीय वर्ष 2006–07 की स्थिति में दिनांक 31/12/2006 तक कुल प्रकरण 2928 पंजीकृत हुये, जिनमें से कुल 1187 प्रकरण निराकृत हुये है तथा वर्तमान में 1741 प्रकरण आयोग में प्रक्रिया में है।

स्थापना एवं प्रशासन :–

छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–5–3/2006/1/7 दिनांक 31.03.2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के लिए कुल 97 विभिन्न अस्थायी पदों की स्वीकृति 28/02/2007 तक प्रदान की गई है। इन पदों में संयुक्त सचिव, पुलिस अधीक्षक, उप सचिव, विधि अधिकारी, लेखाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, तीन पुलिस निरीक्षक, चार आरक्षक एक सहायक ग्रेड–1 संलग्नीकरण में, 6 सहायक ग्रेड–3, 5 वाहन चालक, एक दफ्तरी, 11 भृत्य एवं एक चौंकीदार कार्यरत हैं । शेष पद रिक्त है ।

वित्तीय :–

छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए राशि रूपये 57.53 लाख बजट (अनुदान) स्वीकृत किया गया है।

पूर्व वित्तीय वर्ष 2005–06 में अवशेष राशि रूपये 14,24,997–00.वर्ष 2006–07 के दौरान छत्तीसगढ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक अनुदान 28,00,000–00 प्रदान किया गया है । इस तरह कुल राशि रूपये 42,24,997–00 में से माह दिसम्बर 2006 तक राशि रूपये 41,42,759–00 का व्यय वेतन भत्ते तथा विभिन्न कार्यालयीन व्यय शीर्ष के अंतर्गत उपयोग किया गया है ।

उपसंहार :—

समाज में प्रशासन विशेषकर पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन से विशेष अपेक्षाएं हैं। महालेखाकार से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में आयोग की पहल पर पेंशनर्स को सहायता प्राप्त होती है।

आयोग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि व्यक्तिगत् स्वतंत्रता, बंदियों के स्वास्थ्य, दांडिक प्रकरणों में अनुसंधान की प्रक्रिया में सुधार हो, व्यक्तिगत् स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों के प्रति प्रशासन की विभिन्न इकाईयों में संवेदनशीलता उत्पन्न की जाकर संपूर्ण व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार/संवर्धन किया जा सके।

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी

1. छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का गठन दिनांक 04 अगस्त 2004 से किया गया है। इसके अंतर्गत ''बोर्ड आफ गवनर्स तथा'' राज्य प्रशिक्षण परिषद'' का भी गठन कर लिया गया है।

2. प्रशासन अकादमी अस्थायी रूप से इन्द्रावती खण्ड के प्रथम तल पर स्थापित है। प्रथम तल की खुली छत पर अतिरिक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। नवीन भवन/परिसर हेतु ग्राम निमोरा तहसील अभनपुर में भूमि का आबंटन प्राप्त हो गया है । वर्ष 2006—07 में 50 लाख का आवंटन बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु प्राप्त है।

3. वर्ष 2006—07 में जनवरी, 2007 तक 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें प्रमुखतः वर्ष 2005 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण, नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर एवं नायब तहसीलदार का परिचयात्मक प्रशिक्षण, आबकारी के उप निरीक्षकों के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लेखा तथा स्थापना, सेवा में आरक्षण, बजट, लेखा एवं पेंशन, तथा सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। साथ ही ''आपदा प्रबंध प्लान तैयारी पर कार्यशाला'' का भी आयोजन किया गया है।

छत्तीसगढ़ भवन नई, दिल्ली

सामान्य जानकारी :–

आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के अधीन कार्यरत है, जिसमें आवासीय आयुक्त सहित 67 पद सृजित है। कतिपय पद संविदाधीन भी है। छत्तीसगढ़ भवन, राज्य का दिल्ली में स्थित एकमात्र उच्च विश्रामगृह है। वर्तमान में छत्तीसगढ भवन पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश भवन का मध्यावर्त भवन है जो 7 सरदार पटेल मार्ग पर चाणक्यपुरी में स्थित है। नये भवन के तैयार हो जाने के बाद दिल्ली में राज्य के दो उच्च विश्राम गृह हो जायेंगे। राज्य से छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली पहुॅचने वाले अतिथियों के लिए उत्तम अधिवास, परिवहन एवं अतिथ्य सत्कार व्यवस्था करना एवं विभिन्न मंत्रालयों में प्रभावी लायजन कार्य अगले वर्ष में भवन का विशेष लक्ष्य होगा।

बजट प्रावधान :–

वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिय रूपये 317.74/– लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2006 तक रूपये 185.14/– लाख का व्यय किया जा चुका है तथा रूपये 132.59 लाख शेष राशि है।

कार्य विवरण :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य से आये शासकीय अतिविशिष्ट अतिथियों/अधिकारियों एवं अन्य के लिए छत्तीसगढ़ भवन में अधिवास की व्यवस्था करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य से नई दिल्ली शासकीय प्रवास पर आये अतिविशिष्ट अतिथियों /अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों को पात्रता अनुसार वाहनों की व्यवस्था करना।
3. आतिथ्य सत्कार करना।
4. राज्य के विभिन्न विभागों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत शासन के विभिन्न मंत्रालयों में लायजन कार्य करना।
5. राज्य शासन द्वारा आयोजित बैठकों को को–आर्डिनेट करना आदि।

अभिनव योजना :–

1. सम्पूर्ण भवन के जीर्वोद्धार हेतु प्राक्कलन पी.डब्ल्य.डी. द्वारा किया जाना है। पुराने ई.पी.बी.एक्स सिस्टम की जगह नया ईपी.बी.एक्स. प्रतिस्थापन किया जाना है। भवन के अद्योतल का जीर्णोद्धारा कर भवन कार्यालय का निर्माण करवाया जाना है। पुराने फर्नीचर ,लिनिन, कटलरी एवं क्रॉकरी आदि का प्रतिस्थापन किया जाना है। पुराने अनुपयोगी सेन्ट्रल ए.सी. प्लांट को डिसमेंटल कर निस्तारण करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर है। भवन में पीने के पानी के शुद्वीकरण हेतु आर.ओ.

सिस्टम संस्थापन पी.एच.ई.डी. द्वारा कराया जाना है। उपरोक्त समस्त जीर्णोद्वार पर लगभग 2 से 2.5 करोड व्यय संभावित है।

2. नये छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण कार्य हेतु मे. गुप्ता ब्रदर्स एंड कांट्रेक्टर को लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश प्रदान किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत रूपये 12,01,96,344/— है। सदन 4 मंजिल का है। जिसमें 4 व्ही.आई.पी. सुईट्स 1 मुख्य मंत्री कक्ष तथा 22 कक्ष है नये छत्तीसगढ भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग, फिटिंग एवं फिक्सर्स का काम चल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों से नया भवन अतिथियों के ठहरने के लिए तैयार हो जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ट) के खण्ड में की गयी अपेक्षा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दिनांक 01 अक्टूबर 2002 से किया गया है ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्रमशः 65 एवं 64 पद स्वीकृत किये गये है ।
3. वित्तीय वर्ष 2006–2007 के लिए प्रावधानित बजट से समस्त 16 जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को बजट आबंटन सौपा गया है । जिले में होने वाले व्यय पर आयोग द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के कार्यालयों का निरीक्षण एवं आडिट आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2006–2007 में राशि रूपये 3.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. आयोग को जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के चुनावों का संचालन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का दायित्व सौपा गया है । वित्तीय वर्ष 2006–2007 में आयोग ने त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव सम्पन्न कराएं गए है जिसमें नगरपालिका में पार्षदों के 06 पदों एवं पंचायत में पंच के 2091 सरपंच के 256 तथा जनपद पंचायत सदस्य के 19 रिक्त पदों के लिए उप चुनाव कराये गये हैं। उप चुनाव, 2006 (उत्तरार्द्ध) नगरपालिका में पार्षदों के 10 रिक्त पदों एवं पंचायत में पंच के 1716 सरपंच के 167 तथा जनपद पंचायत सदस्य के 16 पदों के लिए उप चुनाव सम्पन्न कराये गये।

आगामी वर्ष के लक्ष्य :–

आगामी वर्ष में नगरपालिका/पंचायत के रिक्त पदों के लिए 6–6 माह के अंतर में उप चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे। सभी जिलों का आडिट किया जायेगा आयोग मुख्यालय तथा सभी स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण किये जाने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ विभागीय जांच आयुक्त

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 12.07.2002 को विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया । जो निरन्तर कार्यशील है ।
2. वर्तमान में आयुक्त कार्यालय में स्वीकृत सेटअप के अनुसार 01 आयुक्त एवं 03 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है । स्वीकृत सेटअप के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किए जा रहे है ।
3. विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय को वर्ष 2006—07 के लिए 13.70 लाख रूपये बजट का प्रावधान किया गया है।

कार्यपद्धति :—

शासन के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में प्रशासकीय विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी करने के उपरांत अपचारी अधिकारी के प्रतिवाद प्राप्त होने के बाद परीक्षण उपरांत प्रतिवाद संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के अंतर्गत औपचारिक आदेश जारी कर विभागीय जांच आयुक्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रकरणों में विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाकर शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रकरण व जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। वर्ष 2006 में कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जांच वर्ष 2006 में सम्पन्न कर 16 प्रतिवेदन शासन को भेजे गये।

राज्य सूचना आयोग

राज्य शासन ने केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (1) में की गई अपेक्षा के अनुसार दिनांक 01.10.2005 को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए.के. विजयवर्गीय द्वारा दिनांक 07.11.2005 को शपथग्रहण किया गया है। छ.ग. राज्य सूचना आयोग के लिए एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, एक राज्य सूचना आयुक्त, एवं एक सचिव का पद निर्मित किया गया है। छ.ग. सूचना आयोग के लिए कुल 34 पदों का सेटअप स्वीकृत है।

क्रियाकलाप :–

छत्तीसगढ सूचना आयोग एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ''सूचना का अधिकार एवं सामाजिक चेतना'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्टि दिनॉक 26 दिसम्बर, 2006 को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित की गई। संगोष्ठी में बुद्धिजीवियों,समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, जन सूचना अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।

माह अक्टूबर, 2005 से 31 दिसम्बर, 2006 तक की स्थिति में आयोग में शिकायत के कुल 858 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 709 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसका प्रतिशत 82.63 रहा। निराकृत प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई एवं 23 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किए गए।

अपील के कुल 590 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 387 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसका प्रतिशत 65.59 रहा। निराकृत प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई एवं 74 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किए गए ।

बजट :–

छत्तीसगढ सूचना आयोग को वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए रु. 1,35,40,000.00 का आवंटन प्रावधानित है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2006 तक कुल राशि रु. 33,42,756.00 का व्यय किया गया।

उपसंहार :–

आयोग का उददेश्य लोगों को सूचनांए सरलता से तथा प्राप्त शिकायत एवं अपील प्रकरणों का निराकरण शीध्र करना है। इसी अनुक्रम में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों जगदलपुर, दंतेवाडा, जशपुर, अंबिकापुर तथा कोरिया जिले के लिए वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई 06 दिसम्बर, 2006 से प्रारंभ की गई है ताकि लोगों को रायपुर तक आने में आर्थिक कठिनाई अनुभव न हो।